न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :— रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.

अपील संख्या 33/2019

1— रामनिवास पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।

बनाम

1— नायब तहसीलदार मौलासर, जिला नागौर राज0।

2— पटवारी पटवार मण्डल दीनदारपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

उपस्थित अधिवक्ता—

1— श्री चेलाराम थोरी अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 बअनुवान नायब तहसीलदार मौलासर बनाम रामनिवास प्रकरण संख्या 01/2019 न्यायालय नायबतहसीलदार मौलासर का निर्णय दिनांक 24/04/2019.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः—24.03.2021</u>

{1}— यह अपील राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मौलासर के प्रकरण संख्या 01/2019 बअनुवान पटवारी हल्का दीनदारपुरा बनाम रामनिवास में पारित दिनांक 24/04/2019 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} – अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का दीनदारपुरा ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय उपतहसीलदार मौलासर को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम खारिया के खसरा न0 177 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म गै0मु0 गौचर भूमि पर वर्ष 2019 सम्वत 2075 से दीवार व मकान निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है, तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा खारिया के खसरा नं. 177 रकबा 0.13 हैक्टर गै0मु0 गौचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा खारिया के खसरा नम्बर 177 रकबा 0.13 हैक्टर गैर मुमकिन गौचर से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 26/–अक्षरे छब्बीस रूपये कायम किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 11.06.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 11.06.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/19/233 दिनांक 17.06.2019 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

{3}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)– यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय को पारित करने में प्राकृतिक न्याय से सिद्धान्तों की अवहेलना की है। अपीलार्थी को गवाह पेश करने व मौखिक रूप से सुनने का कोई अवसरं नही दिया गया। अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2)– यह है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मामले को कन्टेस्ट करने हेतु समय चाहा गया एवं उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया एवं नक्शा सीट से नाप चोक करवाने का निवेदन किया गया लेकिन अपीलार्थी को नरजअंदाज करते हुए उनके जवाब की ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नही दिया एवं न ही अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया । उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3)– यह है कि पटवार हल्का दीनदारपुरा व भू.अ. निरीक्षक दौलतपुरा ने राजनितिक प्रभाव के कारण दबाव में आकर उक्त कार्यवाही पेश की जबकि उक्त खसरा में अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नही है अगर अतिक्रमण होता तो अपीलार्थी नक्शा सीट से नाप चोक करवाने का नही कहता । इस कारण अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल करने की पक्षपात पूर्ण कार्यवाही की है जो अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4)– यह है कि अपीलार्थी का मकान आबादी भूमि ग्राम खारिया में बना हुआ है जिसमें अपीलार्थी के द्वारा घरेलू लाईट कनेक्शन ले रखे है तथा सदीन काल से मकान बने हुये है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी आबादी क्षेत्र खारिया में मकान व दीवार का निर्माण कर निवास कर रहे है। जो कभी भी अतिक्रमी नहीं है। उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है जो अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(5)– यह है कि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थीगण संख्या 02 की केवल मात्र रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश फरमाया है। इसमें अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य का सही विश्लेषण नही किया है इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(6)– यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(7)– यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया आदेश नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावें।

{4}– प्रार्थीगण श्री शिवदान दत्तक पुत्र श्री मोटाराम एवं सुरेन्द्र सिंह भाकर पुत्र श्री मोहनराम भाकर जाति जाट निवासी खारिया तहसील डीडवाना द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता सारहीन होने से आदेशिका दिनांक 05.03.2021 को खारिज की गयी।

{5} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्ण उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आदेश दिनांक 24/04/2019 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं हुई है। क्योंकि अपीलार्थी एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है तथा दिनांक 10/06/2019 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क

अति. जिला कलक्टर
डीडवाना

किया तो उसके अधिवक्ता ने सम्पूर्ण जानकारी बताई तब उक्त आदेश की नकल दिनांक 10/06/2019 को प्राप्त की तब उक्त निर्णय का सम्पूर्ण ज्ञान हुआ जिससे अपील में हुई देरी माफ योग्य है। जिससे अवधि दिनांक 24/04/2019 से 10/06/2019 तक की समयावधि को कण्डोन किए जाने के आदेश फरमावे।

अतः मियाद के बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचारकर अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से एवं कानून सम्बन्धि जानकारी नहीं होने के मध्यनजर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{6}— बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन व मनन किया गया। पटवारी हल्का दीनदारपुरा व भू. अ. निरीक्षक दौलतपुरा की रिपोर्ट जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम खारिया के खसरा नं0 177 रकबा 0.13 हैक्टर गै. मु. गौचर राजकीय भूमि दीवार व मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्ण अप्रार्थी/अपीलान्ट को विविधवत नोटिस दिया गया है। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.03.2019 से स्पष्ट है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0 मु0 गौचर की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 16(i) के तहत प्रतिबंधित भूमि में आती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विविधवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोइ हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: आदेश ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.04.2019 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी होकर खुले न्यायालय में सुनया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)